(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–I, खण्ड I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

सार्वजनिक सूचना सं. 60/2015–2020

नई दिल्ली, दिनांकः 01 मार्च, 2023

विषयः– दिनांक 01.04.2023 से कच्चे सूरजमुखी बीज तेल के आयात हेतु प्रशुल्क दर कोटे को समाप्त करने के संबंध में।

विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक विदेश व्यापार एतदद्वारा सार्वजनिक सूचना संख्या 10/2015–20 दिनांक 24.05.2022, सार्वजनिक सूचना संख्या 15/2015–20 दिनांक 14.06.2022 और सार्वजनिक सूचना सं. 50/2015–20 दिनांक 11.01.2023 द्वारा पहले यथा अधिसूचित प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.60 और 2.61 में संशोधन कर कच्चे सूरजमुखी बीज तेल के आयात हेतु प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) से संबंधित प्रावधानों को संशोधित करते हैं:

<table>
<tr><th>पैरा</th><th>मौजुदा प्रावधान</th><th>संशोधित प्रावधान</th></tr>
<tr>
<td>2.60 (ख)</td>
<td>नीचे यथा इंगित मदों के लिए प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) आयात केवल वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान आबंटित किया जाएगा।
<table>
<tr><td>मद विवरण</td><td>आईटीसी (एचएस)</td><td>टीआरक्यू प्रति वर्ष (मी.टन में</td></tr>
<tr><td>कच्चा सोयाबीन तेल, डिग्यूम्ड हो या नहीं</td><td>1507 10 00</td><td>20,00,000</td></tr>
<tr><td colspan="3">नीचे यथा इंगित मदों के लिए प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) आयात वित्तीय वर्ष 2022–23 और 2023–24 के दौरान आबंटित किया जाएगा।</td></tr>
<tr><td>मद विवरण</td><td>आईटीसी (एचएस)</td><td>टीआरक्यू प्रति वर्ष (मी.टन में)</td></tr>
<tr><td>कच्चा सूरज मुखी बीज तेल</td><td>1512 11 10</td><td>20,00,000</td></tr>
</table>
उपर्युक्त टीआरक्यू के तहत शुल्क छूट का लाभ वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा जारी अधिसूचना सं. 30/2022–सीमाशुल्क दिनांक 24.05.2022 के अनुसार लिया जाएगा।</td>
<td>नीचे यथा इंगित मदों के लिए प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) आयात केवल वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान आबंटित किया जाएगा।
<table>
<tr><td>मद विवरण</td><td>आईटीसी (एचएस)</td><td>टीआरक्यू प्रति वर्ष (मी.टन में)</td></tr>
<tr><td>कच्चा सोयाबीन तेल, डिग्यूम्ड हो या नहीं</td><td>1507 10 00</td><td>20,00,000</td></tr>
<tr><td>कच्चा सूरज मुखी बीज तेल</td><td>1512 11 10</td><td>20,00,000</td></tr>
</table>
उपर्युक्त टीआरक्यू के तहत शुल्क छूट का लाभ वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा जारी अधिसूचना सं. 30/2022–सीमाशुल्क दिनांक 24.05.2022 के अनुसार लिया जाएगा।</td>
</tr>
</table>

सं. सारंगो

2.61 (घ) (ix)	कच्चा सोयाबीन तेल, डीग्यूमड हो या न हो के आयात के लिए वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान जारी टीआरक्यू की वैधता, आईटीसी (एचएस) 15071000 के तहत संशोधित कर 31.03.2023 कर दी गई है। 31.03.2023 को या उससे पहले के लदान बिल को कच्चे सोयाबीन तेल टीआरक्यू के तहत 30.06.2023 तक आयात के लिए अनुमति दी जाएगी। आईटीसी (एचएस) 15121110 के तहत कच्चे सूरजमुखी के बीज के तेल के आयात के लिए वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान जारी किए गए टीआरक्यू एक वर्ष की अवधि के लिए या 30.06.2023 तक, जो भी पहले हो, आयात की निकासी के लिए मान्य होंगे। वित्त वर्ष 2023–24 के लिए जारी टीआरक्यू 31.03.2024 तक आयात की निकासी के लिए मान्य होंगे।	कच्चा सोयाबीन तेल, डीग्यूमड हो या न हो के आयात के लिए वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान जारी टीआरक्यू की वैधता, आईटीसी (एचएस) 15071000 के तहत संशोधित कर 31.03.2023 कर दी गई है। 31.02.2023 को या उससे पहले के लदान बिल को कच्चे सोयाबीन तेल टीआरक्यू के तहत 30.06.2023 तक आयात के लिए अनुमति दी जाएगी। आईटीसी (एचएस) 15121110 के तहत कच्चे सूरजमुखी के बीज के तेल के आयात के लिए वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान जारी किए गए टीआरक्यू की वैधता को संशोधित कर 31.03.2023 कर दिया गया है। 31.03.2023 को या उससे पहले के लदान बिल को कच्चे सूरजमुखी के बीज के तेल टीआरक्यू के तहत 30.06.2023 तक आयात के लिए अनुमति दी जाएगी।
2.61 (घ) (xi)	उपयोग नहीं की गई मात्राएं अर्थात, वर्तमान आयात अवधि के अंत तक टीआरक्यू लाइसेंसधारियों द्वारा आयात नहीं की गई मात्रा, अगले टीआरक्यू अवधि, अर्थात, 2023–24 के दौरान उनके प्रस्तावित आवंटन (यदि आवंटन पर विचार किया जाता है) से घटा दी जाएगी।	हटाया गया।

सार्वजनिक सूचना का प्रभावः टीआरक्यू के तहत कच्चे सूरजमुखी के बीज के तेल (आईटीसी (एचएस) 15121110) के आयात की अंतिम तिथि को संशोधित कर 31.03.2023 कर दिया गया है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2023–24 में कच्चे सूरजमुखी के बीज के तेल के आयात के लिए कोई टीआरक्यू आवंटित नहीं किया जाएगा।

संतोष कुमार सारंगी
1.3.2023

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः–dgft@nic.in

(फा. सं. 01/89/180/36/एएम–14/पीसी–2(क)/भाग–II/ई–32035 से जारी)